

01/8/75 श्रीमन्मोक्ष उपलक्षणम् । तद्विलम्बितम् ।

तत्पश्चात् प्रत्यक्षम् ।

स्मिन्प्रमाणम् । उपलक्षणम् चान्तरम् 10/5 तद्विलम्बितम् किम्
अपि ।

प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष उपलक्षणम्

प्रथम पक्ष किली तद्वत् का राजस्व कागजात
प्रस्तुत ना कल पंचायती के आधार पर उत्पन्न
भूमि पर दावा करने हैं । उक्त पक्ष के
विद्वान् अधिवक्ता को सुना ।

आदेश हेतु

01/8/75

आदेश

01/8/75

उक्त पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कारण वृद्धा
तथा संलग्न कागजातों का अध्ययन किया ।
उक्त पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण के
दलीलों को सुना । उपरोक्त विवेचन के
उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचना
हुँ कि उक्त पक्ष के मध्य विद्वान् विवाद
बैरवारे से संबंधित है । उक्त पक्ष एक
ही पूर्वज के वंशज हैं तथा बादशाहत
भूमि पर बैरवारे का विवाद है ।

चूँकि बैरवारा (partition)

अपि -

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अव्यवस्थापन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम निर्णय पालन करना अपेक्षित नहीं है। प्रथम पक्ष यदि चाहें हों उक्त वाद के हवाई निपटारे हेतु सशम न्यायालय में बैरवारा से संबंधित वाद ला सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। लेखापति एवं संशोधित 01/8/25 SDM Bagodar Jaula.	01/8/25 SDM.